

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.07.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अ0सं0 243/24 धारा 366/ 363 /120बी आईपीसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शोभित राजपूत पुत्र स्वर्गीय सुनील कुमार निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0 511/20 धारा 2(3) गैंगेस्टर अधि0 से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त वकील अहमद उर्फ वकील पुत्र अलाउद्दीन आलम नि0 परसही ओंकारा थाना मैराल झारखण्ड को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-अरविन्द सचान पुत्र स्व0 देवीप्रसाद सचान उम्र 55 वर्ष निवासी दिलावलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 2 सौरभ सचान पुत्र वीरेन्द्र प्रताप नि0 कुँवरपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर 3 रेशूचक्र पुत्र ओमप्रकाश नि0गजनेर थाना गजनेर का0दे0 उम्र करीब 29 वर्ष 4 नसरुद्दीन पुत्र सुबराती कस्बा व थाना गजनेर जिला का0दे0 उम्र करीब 40 वर्ष 5- चन्द्रकान्त पुत्र ओमकार नाथ नि0 हथेही थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 53 वर्ष 6-नसीम पुत्र सुबराती नि0 कस्बा व थाना गजनेर जिला का0दे0 उम्र करीब 38 वर्ष 7- नारायण सिंह पुत्र नवरत्न सिंह नि0 चमरगाँव थाना घाटमपुर का0नगर उम्र करीब 33 वर्ष 8- राहुल पुत्र राजकिशोर नि0 रहा थाना घाटमपुर का0नगर उम्र करीब 25 वर्ष 9- मनीष कुमार पुत्र शिवकुमार नि0 मउना खत कस्बा व थाना घाटमपुर का0नगर 10 राजन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह नि0 कौसम थाना गजनेर का0दे0 उम्र करीब 26 वर्ष बावत अभियुक्तगण ताश के पत्ते से रूपये पैसो की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण से माल एक पुलिन्दा माल सील सर्व मोहर महमूला माल फड 41,500 रूपये व जामा तलाशी के 3505 रूपये कुल 45005 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते माल मौका मुरत्तिव एक अदद मोमबत्ती टुकडा व जामा तलाशी के 11अदद मोबाइल बरामद होना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 153/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों तथा थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।